कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर।

संख्या– 1257 /आबकारी दुकान/आनलाइन/नवीनीकरण/2019–20/गाजीपुर,दिनांक,फरवरी, 05 2019

विज्ञप्ति

जनपद गाजीपुर के तकनीकी कारणों से वर्ष 2019–20 हेतु माह जनवरी 2019 में नवीनीकृत न हो सकी मदिरा की फुटकर दुकानों के नवीनीकरण हेतु निम्न अनुज्ञापियों को सूचित किया किया जाता है कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–42900– 42975/दस–लाइसेंस–421/आबकारी नीति कियान्वयन/2019–20 दिनांक:प्रयागराज 11.01.2019 के अन्तर्गत कार्यालय आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या– 45476–45550/दस–लाइसेंस–421/आबकारी नीति कियान्वयन/2019–20 दिनांक:प्रयागराज: 04 फरवरी ,2019 के द्वारा वर्ष 2019–20 हेतु निम्न दुकानों का नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थापन किया जाना है।

कमांक	दुकान का नाम	प्रास्थिति	दुकान का प्रकार
1	हंसराजपुर	ग्रामीण	देशी शराब
2	सैदपुर	नगर पंचायत	माडल शाप

उक्त दुकानों के अनुज्ञापियों के उतराधिकारियों द्वारा कार्यालय अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31.01.2019 तक के उपभोग एवं प्रतिफल शुल्क के प्रतिबन्धों की आवश्यक शर्तो को पूरा कर लिया गया है।

नवीनीकरण कराने के उक्त दुकानों के इच्छुक अनुज्ञापी निम्न कार्यकमानुसार अपनी दुकानों का नवीनीकरण करा सकते है–

कमांक	विवरण	दिनांक
1	नवीनीकरण हेतु आनलाइन आवेदन का प्रारम्भ।	06.02.2019 को पूर्वाहन 10.00 बजे से।
2	आनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि व समय	06.02.2019 को समय 17.00 बजे तक।

उपरोक्तानुसार नवीनीकरण कराने के लिये उपरोक्त अनुज्ञापी को निम्नलिखित प्रकृया/बिन्दुओं का अनुपालन करना होगा–

1– देशी शराब दुकान रू0 18,000/– व माडलशाप दुकान रू0 20000/– की दर से प्रोसेसिंग फीस व वर्तमान प्रचलित दर 18 प्रतिशत से जी0एस0टी0 का आन लाइन भुगतान करना होगा।

2– देशी मदिरा की दुकानों के अनुज्ञापीं को निर्धारित प्रारुप में शपथ पत्र की साफट कापी नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ अपलाड करना होगा एव हार्डकापी नवीनीकरण हेतु आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्र ,जमा शुल्क विवरण, के साथ जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय गाजीपुर को उपलब्ध कराना होगा। शपथ पत्र का प्रारुप एवं अन्य विस्तृत जानकारी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों, अथवा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी गाजीपुर से प्राप्त किया जा सकता है।

05.02.19

(वीर अभिमन्यु कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
गाजीपुर।

(के0 बालाजी)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
गाजीपुर।

संख्या– 1258-60 /आबकारी दुकान/आनलाइन/नवीनीकरण/2019–20/तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत विज्ञप्ति को जनपद के वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

2– समस्त आबकारी निरीक्षक,गाजीपुर को अनुपालनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु।

3– प्रधान सम्पादक हिन्दी दैनिक –दैनिक जागरण व हिन्दुस्तान को इस आषय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति आगामी अंक में न्यूनतम सरकारी दर पर प्रकाषित करना सुनिष्चित करें एवं बिल जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय गाजीपुर के समक्ष प्रस्तुत करें।

05.02.19

(वीर अभिमन्यु कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी,
गाजीपुर।

Scanned by CamScanner